

प्रेस-विज्ञप्ति
थाना-पवई

43 शीशी देशी अवैध शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 27.08.20 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अवैध शराब व अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन में उ०नि० मनोज कुमार विश्वकर्मा मय हमराहियान को मुखविर खास की सूचना मिली एक ब्यक्ति अवैध नाजायज देशी शराब सफेद बोरे में लेकर अम्बेडकर मूर्ति के पास गालीबपुर मोड वहद ग्राम गालिबपुर पर खडा है जल्दी करे तो पकडा जा सकता है मुखबीर खास के सूचना पर विश्वास करके गालीबपुर मोड पर पहुचे कि एक व्यक्ति अम्बेडकर मूर्ति के पास एक सफेद बोरा लिये खडा था कि पुलिस वालो को आता देख बोरे को उठाकर भागना चाहा कि घेरकर पकड लिया गया , पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो अभियुक्त ने अपना नाम रवीन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व० राजेश्वर सिंह निवासी भेलारा थाना अखण्डनगर जनपद सुल्तानपुर बताया तथा अभियुक्त के कब्जे से एक सफेद बोरे में 43 शीशी देशी अवैध शराब बरामद हुआ । जिसके सम्बन्ध मे अधिकार पत्र माँगा गया तो नही दिखा सके । अभियुक्त का यह कार्य अन्तर्गत धारा 60(1) आबकारी अधि० का अपराध का बोध कराकर समय करीब 06.02 बजे दिनांक 27.08.20 को गिरफ्तार कर बाजाफता वाकायदा हिदायत पुसिल मे लिया । बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं० 133/20 धारा 60(1) आबकारी अधि० पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. रवीन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व० राजेश्वर सिंह निवासी भेलारा थाना अखण्डनगर जनपद सुल्तानपुर

बरामदगी

43शीशी अवैध नाजायज शराब

पंजीकृत अभियोग

(1) मु०अ०सं० 133/20 धारा 60(1) आबकारी अधि० थाना पवई जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

(1) उ०नि० मनोज कुमार विश्वकर्मा थाना पवई जनपद आजमगढ़

(2) का० रमेश यादव थाना पवई जनपद आजमगढ़

(3) का० उपेन्द्र यादव थाना पवई जनपद आजमगढ़